

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : २३.३.१३

विषय :- मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-३०-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200796300545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / ३०-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश),	०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य/ ५०P470200796300545	२३.१२

आवंटित राशि - ₹ तीर्हस लाख बारह हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ १६०००.०० लाख (₹ एक सौ साठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थानीय अनुदेश का प्रताक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(अौकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जययप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव
मे.

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतियेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मर्दों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२५।

रॉची, दिनांक :- २३-३-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/दुमका/पाकुड़/साहेबगंज/राजनगर/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२५।

रॉची, दिनांक :- २३-३-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -। एवं ॥ जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (भौ०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पैंच प्रति/प्रशास्ता-७ को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सारियकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेष सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

(सुधोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(वी. रवि निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

251

/ रोडी, दिनांक - २३.३.१३

परिविष्ट - १

१/१

पट्टीक -

मौग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिवेष्य,
लघु शीर्ष-७९६-जन जातीय होत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष-३०-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश)
विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-५०P470200796300545

बजट उपलब्ध (वर्ष २०१२-१३) रु. १६०००.०० लाख

(लाख रु० मे)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीरता का प्रस्ता	प्रशासनिक स्थीरता का प्रस्ता राशि	विवोध वर्ष २०१२-१३ में आवंटन				अन्यकारा
							१	२	३	४	
प्रखंलाबद्ध चेकडैम का निर्माण											
१	लघु सिंचाई प्रमण्डल, पाठुड	अयरापाडा	इकाडी नाला में शु० चेकडैम	१६ / १३.०२.१०	२०९.९८०	१५७.२५०	०.००	४.८१	४.८१		
२	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताडा	नाला	गोपेश्वर नाला में शु० चेकडैम	२०७.८०	१६३.०६०	०.००	१५.००	१५.००	१५.००		
३	लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज	राजगढ़ल	हेमा नाला पर शु० चेकडैम निर्माण	१६ / १३.०२.१०	१०७.२६२	५३.८८०	०.००	१.०७	१.०७		
		तालझारी	बरमणिया नाला पर शु० चेकडैम निर्माण	१६ / १३.०२.१०	१४८.१७०	७०.४६५	०.००	२.२४	२.२४		
			योग	८९१.४०२	५९३.१२५	०.०००	२३.१२०	२३.१२०	२३.१२०		

आवंटित राशि - ₹ तेहस लाख बारह हजार मात्र।

(ओकार नाथ)
सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. गी. नियमा)
विशेष सचिव

(रु० के० रातापथी)
प्रधान सचिव